राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 58 / 2008
दायरा तिथि 29.06.2008
निर्णय तिथि 05.07.2017

वादीगण– स्व.मोहब्बतसिंह पुत्र लादाजी के का.मु.–
1–सुरजमल पुत्र स्व.मोहब्बतसिंहजी
2–उषादेवी पुत्री स्व.मोहब्बतसिंहजी
3–बिहारीलाल पुत्र स्व.मोहब्बतसिंहजी
4–रतन पुत्री स्व.मोहब्बतसिंहजी
तमाम जातिगण राजपुरोहित निवासीगण नेतरा
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

ब
ना
म:

प्रतिवादीगण– 1–भंवरसिंह पुत्र लादाजी
2–छोगसिंह पुत्र लादाजी
3–स्व.हजारी पुत्र अमरींगजी के का.मु.–
3 / 1- शेषमल पुत्र स्व.हजारीजी
3 / 2–दाकुदेवी पुत्री स्व.हजारीजी
3 / 3–हवादेवी पुत्री स्व.हजारीजी
3 / 4–रमेशकुमार पुत्र स्व.हजारीजी
3 / 5–किशोरसिंह पुत्र स्व.हजारीजी
3 / 6–जरावकंवर पुत्री स्व.हजारीजी
3 / 7–सुरेशकुमार पुत्र स्व.हजारीजी
3 / 8–छगनादेवी पुत्री स्व.हजारीजी
3 / 9–अर्जुनसिंह पुत्र स्व.हजारीजी
3 / 10–शोभाकंवर पुत्री स्व.हजारीजी
तमाम जातिगण राजपुरोहित निवासीगण नेतरा
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
4–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी
तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी.

निर्णय तिथि 05.07.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र नेतरा में बरोज आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी सं.01–भंवरसिंह व प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह उपस्थित। प्रतिवादी सं.01 व सं.02 ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. का प्रस्तुत

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

किया, जिसे शामिल मिसल कर रेकर्ड पर लिया गया। राजस्व लोक अदालत की भावना के अनुरूप सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से हमने, पक्षकारों की बहस दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 एक ही पूर्वज स्व.अमरींगजी के वंशज है, लादाजी व हजारीजी दोनों भाई होने से ग्राम नेतरा में स्थित संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि गत् सेटलमेंट सवंत् 2037 के पूर्व पुराने खसरा नं. 571 व 572 कुल रकबा 20)1 बीघा में हजारीजी का 1/2 हिस्सा व लादाजी के तीनों पुत्रों का 1/2 हिस्सा दर्ज रहा है, इसी प्रकार पुराने खसरा नं. 849 रकबा 13)16 बीघा में लादाजी व हजारीजी दोनों का बहिस्सा बराबर–2 दर्ज रहा है एवं पुराने खसरा नं.113 व 123 कुल रकबा 4)13 बीघा में लादाजी व हजारीजी का 1/2 हिस्सा तथा इसी प्रकार पुराने खसरा नं. 125 रकबा 0)10 बीघा किस्म गै.मु.खड्डा में लादाजी व हजारीजी का 1/4 हिस्सा खातेदारी का दर्ज रहा है, उपरोक्त भूमि के अलावा पुराने खसरा नं. 21, 311 व 606 में लादाजी के परिवार वालों को भूमि आवंटन/नियमन हुई थी। गत् सेटलमेंट से पूर्व लादाजी व हजारीजी दोनों भाईयों के बीच उनकी खातेदारी कृषि भूमि का बंटवाडा हो गया था, परन्तु लादाजी के तीनों पुत्रों के मध्य कोई बंटवाडा नहीं हुआ, गत् सेटलमेंट के दौरान लादाजी व हजारीजी ने अपने स्वयं के नाम की संयुक्त खातेदारी को यथावत् दर्ज रहने दी, लैकिन लादाजी के परिवार वालों की आवंटन/नियमन सुदा भूमि को लादाजी ने अपनी सुविधा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अपने पुत्रों के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी।

(2) कि वादी ने कथित वादपत्र में यह भी निवेदन किया कि गत् सेटलमेंट संवत् 2037 के दौरान उपरोक्त वर्णित पुराने खसरा नंबरान से बने हाल खसरा नं. 790, 805, 806 कुल रकबा 3.37 हेक्टर में प्रतिवादी सं.01 व 02 का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं.03 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का गलत दर्ज हुआ है, जबकि उक्त भूमि के 2/3 हिस्से में लादाजी के तीनों पुत्रों का नाम दर्ज होना चाहिए था। इसी प्रकार हाल खसरा नं. 739, 748 कुल रकबा 2.49 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी सं.02 का नाम गलत दर्ज हुआ, जबकि यह भूमि लादाजी के जीवनकाल में संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति रही है जिसका बंटवाडा लादाजी के जीवनकाल में नहीं हुआ था परन्तु इसके बावजूद भी उक्त भूमि प्रतिवादी सं.02 के नाम गलत रूप से दर्ज कर हो गई। हाल खसरा नं. 17, 1185, 1186 कुल रकबा 3.24 हेक्टर को वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज की गई है, इसके अलावा हाल खसरा नं. 580, 1180, 1181, 1187, 1189 कुल रकबा 8.88 हेक्टर में भी वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 की खातेदारी दर्ज की गई है एवं हाल खसरा नं. 271, 272, 273 कुल रकबा 0.77 हेक्टर भूमि में भी वादी व प्रतिवादी सं.01 व 02 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं.03 का 1/4 हिस्सा एवं शेष 1/2 हिस्सा सुजानसिंह के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज हुई है तथा हाल खसरा नं. 269 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गै.मु.तेड में भी वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 व सुजानसिंह के वारिसान का 1/2 हिस्सा तथा अचलींग के वारिसान का 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है. इसके अलावा हाल खसरा नं. 1126 रकबा 0.22 हेक्टर भूमि में भी वादी व प्रतिवादी सं.01 व 02 के संयुक्त खातेदारी दर्ज हुई है। इसी प्रकार वादी ने उपरोक्त कथनों व तथ्यों के अलावा यह भी निवेदन किया कि उल्लेखित हाल खसरा नंबरान की भूमि के बटवाडा बावत् प्रतिवादी सं.03 ने वादी व प्रतिवादी सं.01 व 02 के विरूद्ध

लगातार–3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

उपखण्ड न्यायालय सुमेरपुर में वर्ष 2008 के दौरान वादपत्र पेश किया था, जिसमें वादी व प्रतिवादी सं.01 व 02 के गैरहाजिर रहने से एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी हुई थी जिसकी अनुपालना में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र स्वीकार व फाईनल डिक्री किया गया था और उक्त निर्णय व फाईनल डिक्री के अनुरूप म्युटेशन सं. 964 दिनांक 02.11.2011 के जरिए हाल खसरा नं. 1185, 1186 व 17 कुल रकबा 2.36 हेक्टर एवं खसरा नं. 1187, 1188, 1189 व 580 कुल रकबा 3.70 हेक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं.01 लगाय 02 के नाम राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज की गई।

(3) कि उल्लेखित कथनों व तथ्यों के अलावा वादी ने अपने वादपत्र में यह भी निवेदन किया है कि स्व.लादाजी पुत्र अमरींगजी के तीन पुत्र क्रमशः वादी, प्रतिवादी सं.01 व 02 है, जिनके आपसी पारिवारिक मौखिक बंटवाडा आज से करीब 32 वर्ष पूर्व लादाजी के जीवनकाल में हुआ था जिसका विवरण वादपत्र के पद सं. 5(अ)(ब)(स) में दर्शाया गया है, जिसके अनुसार वादी–मोहब्बतसिंह के बंट व हक–हिस्से में खसरा नं. 1187 रकबा 1.43 हेक्टर, खसरा नं. 1188 रकबा 1.10 हेक्टर, खसरा नं. 1189 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 1186 में से रकबा 0.94 हेक्टर कुल रकबा 3.66 हेक्टर एवं प्रतिवादी सं.01–भंवरसिंह व प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह के बंट व हक–हिस्से में खसरा नं. 1185 में से रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नं. 1186 में से रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नं. 580 रकबा 0.98 हेक्टर, खसरा नं. 17 रकबा 0.78 हेक्टर, खसरा नं. 790 का 2/3 हिस्सा रकबा 2.17 हेक्टर, खसरा नं. 806 का 2/3 हिस्सा रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नं. 739 रकबा 1.90 हेक्टर, खसरा नं. 748 रकबा 0.59 हेक्टर, खसरा नं. 271, 272, 273 का 1/4 हिस्सा रकबा 0.59 हेक्टर, खसरा नं. 269 में से 1/8 हिस्सा रकबा 0.192 हेक्टर, खसरा नं. 1126 रकबा 0.22 हेक्टर कुल रकबा 7.552 हेक्टर तथा प्रतिवादी सं.03–हजारीजी के बंट व हक–हिस्से में खसरा नं. 1180 रकबा 0.47 हेक्टर, खसरा नं. 1181 रकबा 3.54 हेक्टर, खसरा नं. 1184 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 580/1 रकबा 1.00 हेक्टर, खसरा नं. 17/1 रकबा 0.52 हेक्टर, खसरा नं. 1/85/1 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नं. 790, 805 व 806 का 1/3 हिस्सा रकबा 1.123 हेक्टर, खसरा नं. 271, 272, 273 का 1/4 हिस्सा रकबा 0.192 हेक्टर, खसरा नं. 269 का 1/8 हिस्सा रकबा 0.008 हेक्टर कुल रकबा 7.383 हेक्टर भूमि रही, जिसमें वादी के उपरोक्त बंट व हक–हिस्से की भूमि पर वादी का बिना किसी रूकावट के आज तक शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है व मौके पर वादी के नाम से विद्युत कनेक्शन सहित बेरा व रहवासी केलूपोश मकान भी बने हुए है इसके अलावा वादी ने अपने बंट व हक–हिस्से की भूमि पर लाखों रूपए खर्च करके इसे कृषि योग्य विकसित किया है, परन्तु उपरोक्त बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने से प्रतिवादी सं.01 व 02 वादी को उक्त भूमि का खातेदार नहीं मान रहे है और वादी को अपने बंट व हक–हिस्से की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने की धमकी दे रहे है।

इसलिए वादी का यह वादपत्र, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार व डिक्री फरमाकर वादपत्र के पद सं.5(अ) में वर्णित कृषि भूमि बाबत् वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वादपत्र के पद सं. 5(अ)(ब)(स) में दर्शाए गये विवरणानुसार वादी व प्रतिवादी सं.01 लगाय 03 के मध्य बंटवाडा करवाकर इसी मुजब राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किए जाने का आदेश फरमावे, साथ ही वादी के उपरोक्त बंट व हक–हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं या उनके

लगातार–4

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की चिरस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। वादी द्वारा वादपत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदियां संवत् 2021–24(कुल–6), खतौनी बंदोबस्त संवत् 2037–2056 (कुल–6), मिलान क्षेत्रफल(कुल–7 पेज), मांग पत्र व प्रार्थना पत्र की छाया प्रतिया, चालू जमाबंदिया संवत् 2064–67 (कुल–8), फोटो चित्र व नक्शा ट्रेस इत्यादि की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की है।

(4) कि प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं.01 व 02 ने विस्तृत विवरण दर्शाते हुए जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में वादी द्वारा अभिव्यक्त किए गये तमाम कथनों व तथ्यों को नकारते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया है कि वादी द्वारा जानबूझ कर न्यायालय हाजा व प्रतिवादीगण को धोखा देने के नापाक उद्देश्य से गत् राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज खसरा नंबरान का वादपत्र में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है अर्थात हाल खसरा नं. 790, 805, 806 कुल रकबा 3.37 हेक्टर के गत् खसरा नं. 571, 572 कुल रकबा 20)1 बीघा रहे है, के बारे में वादी ने गलत व मिथ्या कथन अभिव्यक्त किए है क्योंकि उक्त भूमि कभी भी लादाजी पुत्र अमरींगजी की सहखातेदारी हक–हकूक की नहीं रही है, तथा ना ही वादी को 1/6 हिस्से के कभी भी खातेदारी हक–हकूक प्राप्त हुए है, बल्कि गत् खसरा नं. 571, 572 कुल रकबा 20)1 बीघा भूमि का 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं.01–भंवरसिंह, प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह व रणवीरसिंह पुत्र लादाजी ने एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं.03–हजारी पुत्र अमरींगजी ने जरिए विक्रय–विलेख दिनांक 14.06.1965 व पंजीबद्ध दिनांक 09.09.1965 द्वारा पूर्व खातेदारान–भीका वगैरा से खरीद किया था जिसके अनुसार यह भूमि प्रतिवादी सं.01–भंवरसिंह, प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह व रणवीरसिंह पुत्र लादाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में सहखातेदारी दर्ज रही, कालान्तर में सहखातेदार रणवीरसिंह लाऔलाद फौत होने से उनके हिस्से की भूमि लादाजी के वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इसके अलावा गत् सेटलमेंट से बने हाल खसरा नं. 739, 748 कुल रकबा 2.49 हेक्टर के पुराने खसरा नं. 606 रकबा 13)16 बीघा रहे है, उक्त भूमि प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह के नाम व्यक्तिगत् रूप से दिनांक 13.06.1967 को आवंटित हुई थी जिससे उक्त भूमि में प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह को ही एकमात्र खातेदारी हक–हकूक निहित हुए है अर्थात उक्त आवंटित सुदा भूमि में प्रतिवादी सं. 02–छोगसिंह के अलावा वादी व अन्य प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से खातेदारी हक–हकूक निहित नहीं होते है।

(5) कि इसी प्रकार से प्रतिवादी सं.01 व 02 ने अपने जवाबदावा में यह भी निवेदन किया है कि गत् सेटलमेंट से बने हाल खसरा नं. 17, 1185, 1186 कुल रकबा 3.24 हेक्टर के पुराने खसरा नं. 21मी व 849 रहे है, उक्त भूमि लादाजी व हजारीजी पिसरान अमरींगजी के संयुक्त कब्जा काश्त व बहिस्सा बराबर की सहखातेदारी भूमि रही है। इसके अलावा गत् सेटलमेंट के पुराने खसरा नं. 311 रकबा 14) बीघा के हाल खसरा नं. 580 रकबा 1.98 हेक्टर बने है और पुराने खसरा नं. 854 रकबा 40) बीघा के हाल खसरा नं. 1180, 1181, 1184, 1187, 1188, 1189 कुल रकबा 7.38 हेक्टर बने, जो भूमि लादाजी व हजारीजी पि. अमरींगजी को संयुक्त तौर से दिनांक 19.08.1975 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली केम्प सुमेरपुर द्वारा नियमन की हुई थी जिससे लादाजी व हजारीजी का संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर सहखातेदारी के हक–हकूक निहित हुए, उपरोक्त भूमि में से सहखातेदार वादी–मोहब्बतसिंह ने खसरा नं. 580 में निहित अपना हक–हिस्सा प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह को उनसे प्रतिफल राशि रूपये 1201/– प्राप्त कर दिनांक 09.02.1979 को बैचान हस्तान्तरण

लगातार– 5

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

कर दिया था जिसके कारण उक्त भूमि में वादी–मोहब्बतसिंह का खातेदारी हक–हकूक नहीं रहा। इसके अलावा गत् सेटलमेंट से बने हाल खसरा नं. 271, 272, 273 कुल रकबा 0.77 हेक्टर जिसके पुराने खसरा नं. 113 व 123 कुल रकबा 4)13 बीघा रहे, उसमें लादाजी व हजारीजी पि.अमरींगजी का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा सहखातेदारी हक–हकूक का निहित रहा है, साथ ही गत् सेटलमेंट के पुराने खसरा नं. 125 रकबा 0)10 बीघा से बने हाल खसरा नं. 269 रकबा 0.06 हेक्टर किस्म गै.मु.तेड में भी लादाजी व हजारीजी पि.अमरींगजी का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा सहखातेदारी हक–हकूक का निहित रहा है।

(6) कि उल्लेखित कथनों व तथ्यों के अलावा प्रतिवादी सं.01 व 02 ने अपने जवाबदावे में यह भी निवेदन किया है कि खसरा नं. 580, 1180, 1181, 1184, 1187, 1188, 1189 कुल रकबा 9.36 हेंक्टर के बारे में प्रतिवादी सं.03 द्वारा न्यायालय हाजा में राजस्व वाद सं. 263/2008 हजारी बनामः भंवरसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी.एक्ट,1955 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिक्री जारी हुई जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में भी अमल दरामद हो चुका है तथा वादी को इसकी तमाम जानकारी रही है, इसके अलावा वादपत्र में उल्लेखित विवरण की कृषि भूमियों के बारे में खाते राजस्व रेकर्ड में अलग–2 दर्ज रहे है जिसमें से खसरा नं. 739 व 748 का केवलमात्र प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह को ही एकल खातेदारी अधिकार प्राप्त है, उपरोक्त भूमि में वादी व अन्य प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार निहित नहीं होता है, साथ ही उक्त भूमि बाबत वादी के हक में किसी प्रकार से वाद–हेतुक पैदा नहीं होते है यानि कि वादपत्र में उल्लेखित तमाम कृषि भूमियों में वादी को सहखातेदारी के हक–हकूक निहित नहीं होते है। वादी को जिस खसरा नंबरान की भूमियों में सहखातेदारी के हक–हकूक कानूनन निहित होते है उसके लिए वादी अलग–2 स्वतंत्र वादपत्र के जरिए अपने सहखातेदारी हक–हकूकों की घोषणा पाने का अधिकारी है। इस प्रकार वादी द्वारा कथित वादपत्र में मिथ्या व बेबुनियाद कथनों का उल्लेख करते हुए बद्नियति से वादपत्र के पद सं.5(अ) में वर्णित कृषि भूमि का खातेदार घोषित करने व इसी पद सं.05(अ)(ब)(स) में दर्शाए गये विवरणानुसार कपोल–कल्पित विभाजन होने का मिथ्या उल्लेख कर तथा वादपत्र में कानूनन आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन (Non-Joinder of Parties) एवं कुसंयोजन (Mis-Joinder) करके नापाक उद्देश्य व छल–कपट द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा, जोत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है वह कानूनन चलने योग्य व परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। इसलिए उल्लेखित कानूनी बिन्दुओं के आधारित वादी का यह वादपत्र प्रतिवादीगण के सव्यय व भारी कॉस्ट के साथ खारिज किए जाने का आदेश फरमावे। प्रतिवादी सं.01 व 02 ने अपने जवाबदावा के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः लिखत बैचान पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 14.06.1965, पावती रसीद हस्तान्तरण दिनांक 09.02.1979, पासबुक–4 खाताओं की छाया प्रतिया पेश की है।

(7) कि प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का नेतरा ने दिनांक 16.06.2016 को प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में जाहिर किया है कि ग्राम नेतरा की हाल जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता सं. 242 में दर्ज खसरा नं. 17 रकबा 0.78 हेक्टर, खसरा नं. 580 रकबा 0.98 हेक्टर, खसरा नं. 1185 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नं. 1186 रकबा 1.22 हेक्टर, खसरा नं. 1187 रकबा 1.43 हेक्टर, खसरा नं. 1188 रकबा 1.0410 हेक्टर, खसरा नं. 1189 रकबा 0.13 हेक्टर तथा खाता सं. 250 में दर्ज खसरा नं.

लगातार–6

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

1126 रकबा 0.22 हेक्टर भूमि वादी–मोहब्बतसिंह व प्रतिवादी सं.01–भंवरसिंह, प्रतिवादी सं.02 छोगसिंह पि.लादाजी की संयुक्त खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नं. 271, 272, 273 कुल रकबा 0.77 हेक्टर, खसरा नं. 269 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 790, 805, 806 कुल रकबा 3.37 हेक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज हैं। इसके अलावा खसरा नं. 1186 में से रकबा 0.94 हेक्टर, खसरा नं. 1187 रकबा 1.43 हेक्टर, खसरा नं. 1188 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं. 1189 रकबा 0.13 हेक्टर कुल रकबा 3.54 हेक्टर भूमि पर वादी मोहब्बतसिंह के वारिसान का कब्जा काश्त है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज है। इसके अलावा पटवारी हल्का नेतरा ने तथाकथित जांच रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया है कि मौजा नेतरा के खसरा नं. 739 रकबा 1.8830 व खसरा नं. 748 रकबा 0.5710 हेक्टर भूमि प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह वल्द लादाजी की स्वअर्जित भूमि है जिसको भी इस वादपत्र में शामिल कर वादी द्वारा बंटवाडा चाहा गया है जो संभव नहीं है।

(8) कि प्रश्नगत् मामले में इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प की मंशा के अनुरूप प्रतिवादी सं.01 व 02 नं प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी. सी. प्रस्तुत कर इस आशय के कथत व तथ्य अभिव्यक्त किए है कि वादपत्र में वर्णित अधिकांश खसरा नंबरान की भूमियों के बारे में प्रतिवादी सं.03 हजारी पुत्र अमरींगजी ने वर्ष 2008 में बंटवाडा हेतु उपखण्ड न्यायालय सुमेरपुर में वाद सं. 263/2008 अनबान–हजारी बनामः भंवरसिंह वगैरा प्रस्तुत किया था जिसमें प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.04.2010 को जारी हुई तथा इस प्राथमिक डिक्री की पालना में पटवारी हल्का नेतरा व तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर दिनांक 12.10.2010 को अंतिम बंटवाडा बाबत् डिक्री जारी हुई और इस अंतिम बंटवाडा डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में खसरा नं. 1180 रकबा 0.47 हेक्टर, खसरा नं. 1181 रकबा 3.54 हेक्टर, खसरा नं. 1184 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 1185 का 1/2 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नं. 580 में से रकबा 1.00 हेक्टर व खसरा नं. 17 में से रकबा 0.52 हेक्टर कुल रकबा 6.06 हेक्टर भूमि हजारी पुत्र अमरींगजी के हक–हिस्से में खातेदारी दर्ज हुई तथा इसी प्रकार खसरा नं. 1185 का 1/2 रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नं. 1186 रकबा 1.22 हेक्टर, खसरा नं. 1187 रकबा 1.43 हेक्टर, खसरा नं. 1188 रकबा 1.10 हेक्टर, खसरा नं. 1189 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 580 में से रकबा 0.98 हेक्टर व खसरा नं. 17 में से रकबा 0.78 हेक्टर कुल रकबा 6.06 हेक्टर भूमि भंवरसिंह, मोहब्बतसिंह, छोगसिंह पि. लादाजी के हक–हिस्से में खातेदारी दर्ज हुई तथा इसी अनुरूप खातेदार पक्षकारान मौके पर काबिज व काश्त करते आ रहे है। चूंकि निर्णित वाद सं. 263/2008 एवं इस विचाराधीन वादपत्र में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबरान, पक्षकारान व बंटवाडा अनुतोष समान होने से वादी का यह वादपत्र रेसजुडिकेटा की परिधीय में आने से यह वादपत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है अर्थात कानूनन काबिल खारिज है, इसलिए वादी का यह वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

(9) कि हमने, इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प की मंशा के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि व उभयपक्षीय द्वारा अभिव्यक्त किए गये उल्लेखित तमाम कथनों व तथ्यों पर मनन व विचारण किया। तद्परान्त विश्लेषण व विवेचनाओं के फलस्वरूप हमने यह पाया कि प्रथमतः वादपत्र में वर्णित अधिकांश खसरा नंबरान की भूमियों के बारे में प्रतिवादी सं.03 हजारी पुत्र अमरींगजी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय हाजा में राजस्व वाद सं. 263/2008 बअनबान–हजारी बनामः भंवरसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 53 आर

लगातार–7

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

टी.एक्ट,1955 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.04.2010 को जारी हुई जिसकी पालना में पटवारी हल्का नेतरा व तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट के आधारित अंतिम बंटवाडा की डिक्री दिनांक 12.10.2010 को जारी हुई और इसी आधारित उल्लेखित विवरणानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद होकर खाते अलग–2 दर्ज हुए जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य–दस्तावेज हाल जमाबंदियों में दर्ज प्रविष्टियों से व पटवारी हल्का नेतरा की तथाकथित जांच रिपोर्ट से बखुबी प्रमाणित होता है, इसके अलावा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यदि वादी को किसी प्रकार से कोई कानूनी ऐतराज जाहिर होता तो इसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि अन्तर्गत अपील या पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था, परन्तु इसके पृष्ठांकन में वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य–प्रमाण रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं कराया है। इसलिए चूंकि निर्णित वाद सं.263/2008 में एवं इस विचाराधीन वादपत्र में अधिकांश खसरा नंबरान की भूमियां व पक्षकारान एवं बंटवाडा अनुतोष समान होने से वादी का यह वादपत्र कानूनन रेसजुडिकेटा की परिधीय में आने से यह वादपत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है अर्थात कानूनन काबिल खारिज है, द्वितीयतः वादी पत्र में उल्लेखित हाल खसरा नं. 739, 748 कुल रकबा 2.49 हेक्टर जो पुराने खसरा नं. 606 रकबा 13)16 बीघा से बने है, उक्त भूमि प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह को व्यक्तिगत् रूप से दिनांक 13.06.1967 को आवंटित हुई थी इसलिए खसरा नं. 739 व 748 का केवलमात्र प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह को ही एकल खातेदारी अधिकार निहित होता है अर्थात उक्त वर्णित भूमि में वादी व अन्य प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है, साथ ही उक्त भूमि बाबत वादी के हक में किसी प्रकार से वाद–हेतुक पैदा नहीं होता है। तृतीयतः हाल खसरा नं. 790, 805, 806 कुल रकबा 3.37 हेक्टर के गत् खसरा नं. 571, 572 कुल रकबा 20)1 बीघा रहे है जिसमें से 2/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं.01–भंवरसिंह, प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह व रणवीरसिंह पुत्र लादाजी ने एवं 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं.03–हजारी पुत्र अमरींगजी ने जरिए विक्रय विलेख दिनांक 14.06.1965 व पंजीबद्ध दिनांक 09.09.1965 द्वारा पूर्व खातेदारान–भीका वगैरा से खरीद की हुई है जिसके अनुसार यह भूमि प्रतिवादी सं.01–भंवरसिंह, प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह व रणवीरसिंह पुत्र लादाजी के नाम राजस्व रेकर्ड में सहखातेदारी दर्ज रही, कालान्तर में सहखातेदार रणवीरसिंह लाऔलाद फौत होने से उनके हिस्से की भूमि लादाजी के वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है, इसके अलावा प्रतिवादी सं.01 व 02 द्वारा अपने जवाबदावा में अभिव्यक्त कथनानुसार सहखातेदार वादी–मोहब्बतसिंह द्वारा खसरा नं. 580 में निहित अपना हक–हिस्सा प्रतिवादी सं.02–छोगसिंह को उनसे प्रतिफल राशि रूपये 1201/– प्राप्त कर दिनांक 09.02.1979 को बैचान हस्तान्तरण कर दिये जाने से उक्त भूमि में वादी–मोहब्बतसिंह का खातेदारी हक–हकूक नहीं रहा है। चतुर्थतः वादी द्वारा वादपत्र के पद सं.5(अ) में वर्णित कृषि भूमियों का खातेदार घोषित करने व इसी पद सं.05(अ)(ब)(स) में दर्शाए गये विवरणानुसार कपोल–कल्पित विभाजन दर्शाकर बद्नियति से मिथ्या व बेबुनियाद कथनों का उल्लेख किया है, इसके अलावा वादी द्वारा कथित वादपत्र मे कानूनन आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन (Non-Joinder of Parties) एव कुसंयोजन (Mis-Joinder) करके नापाक उद्देश्य व छल–कपट द्वारा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध उल्लेखित खसरा नंबरान की भूमियों के बारे में खातेदारी घोषणात्मक, कृषि जोत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्ट्या कानूनन चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से खारिज योग्य है।

लगातार–8

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचनाओं के फलस्वरूप हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं.01 व 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. को स्वीकार करते हुए वादी का यह वादपत्र विधि के अनुरूप रेसजुडिकेटा की परिधीय में आने से तथा वादी द्वारा इस वादपत्र में कानूनन आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन (Non-Joinder of Parties) व कुसंयोजन (Mis-Joinder) से एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह वादपत्र वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध उल्लेखित खसरा नंबरान की भूमियों के बारे में खातेदारी घोषणात्मक, जोत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया कानूनन चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं.01 व 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी. को स्वीकार करते हुए वादी का यह वादपत्र विधि के अनुरूप रेसजुडिकेटा की परिधीय में आने से तथा वादी द्वारा इस वादपत्र में कानूनन आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन (Non-Joinder of Parties) व कुसंयोजन (Mis-Joinder) से एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाकर यह वादपत्र वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध उल्लेखित खसरा नंबरान की भूमियों के बारे में खातेदारी घोषणात्मक, जोत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया कानूनन चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्र–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 05.07.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–नेतरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर(पाली)

Scanned by CamScanner